13

पत्र संख्या-स्था0-5(ग)-पदोन्नति वै0सहा0ग्रेड-2 //2024-25// 5103 // राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 16|02| , 2024

समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/
आहरण वितरण अधिकारी , राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

निकट भविष्य में चयन वर्ष 2024-25 की वै0सहा0ग्रेड-2 की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही विभागीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करायी जानी है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली-2014 के नियम-7(2) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 08 वर्ष वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले आशुलिपिकों को ही वै0सहा0ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार पात्रता सूची में रखा जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग में दिनांक 30-06-2016 तक आशुलिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण वाले कार्मिकों द्वारा चयन वर्ष 2024-25 के प्रथम दिवस दिनांक 01-07-2024 को 08 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण की ली जायेगी। जिस कारण सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार इन कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही माह जुलाई 2024 के पश्चात कराया जाना प्रस्तावित है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30-06-2016 तक नियुक्त समस्त आशुलिपिकों की अद्यावधिक मूल चरित्र पंजिकायें तत्काल मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में मुख्यालय के विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय -समय पर दिये गये दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2023-24 (01-04-2023 से 31-03-2024) की वार्षिक प्रविष्टि समयान्तर्गत (दिनांक 10-05-2024 तक) पूर्ण कराते हुये वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टि तथा निम्न निर्धारित प्रारूप-क में सूचना मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 20-05-2024 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

-:: प्रारूप-क ::-

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	मौलिक नियुक्ति की तिथि/ आशुलिपिक पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	यदि अनुशासनिक/अभियोजन की कार्यवाही /सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच चल रही है अथवा ऐसी किसी कार्यवाही के फलस्वरूप कोई आदेश /दण्डादेश पारित किया गया है, तो उसका विवरण जिसमें वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि /मन्तव्य आदि अंकित किया गया है तो उसका विवरण भी उसके विरूद्ध दिये गये प्रत्यावेदन की स्थिति सहित अंकित किया जाये।
01	02	03	04	05	06	07

AS 20/2/24
19/02/2024
15053

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में चस्पा वार्षिक प्रविष्टियाँ मूल रूप में , स्वीकर्ता अधिकारी से सत्यापित हो तथा दण्डादेशों / प्रतिकूल कार्यवाही विषयक आदेशों की प्रतियाँ भी संलग्न हों।

स्मरण रहे कि उपरोक्त निर्धारित प्रारूप के स्तम्भ-7 में वांछित सूचना तथा अन्य वांछित अभिलेख निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि निर्धारित समयावधि में उक्त वाँछित सूचनाएँ मुख्यालय पर अप्राप्त रहती है एवं यचन की कार्यवाही में ऐसी किसी सूचना / प्रविष्टि के अभाव में अन्यथा निर्णय लिये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(रिया केजरीवाल)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वांछित सूचनाएँ मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त आयुक्त (अई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. पटल प्रभारी चरित्र पंजिका प्रकाष्ठ, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि ज्येष्ठता सूची के अनुसार मुख्यालय में दिनांक 30-06-2016 तक नियुक्त समस्त आशुलिपिकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार चरित्र पंजिका सारांश निर्धारित समयावधि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

16.2.24

(प्रबल कुमार)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0अनु0) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।